

संख्या 1298

प्रेषक,

सदानन्द,  
अनु. सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या: दिनांक 23 अगस्त 2007

विषय :- के०एच०एम०सी० स्कूल चण्डीसी रोड, बहजौर, मुरादाबाद जिला, उत्तर प्रदेश

से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

प्रमोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहनी पड़ती है कि उक्त संबन्धित विद्यालय को भी०वी०एस०ई० नई दिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रवृत्त करने हेतु:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण किया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को प्राप्त करने की प्रक्रिया में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त के बाद ही प्रस्तावित संवन्धता रोडल बोर्ड आफ सेकेंडरी एज्युकेशन नई दिल्ली/नॉर्सिल के इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एज्युकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होने वाली परीक्षा परिषदों से संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वीकार्य हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिष्टाचार कर्तव्यों का राष्ट्रीय गठबंधन संस्थाओं के कर्तव्यों की अनुसूची में चयनमानों तथा अन्य कर्तव्यों के चयनमान तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

*Punacyste*

Manager  
K.H.M.C. School  
Chandausi Road, Bahjor

PRINCIPAL  
K.H.M.C. SCHOOL  
BAHJOI-244410

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अक्षासंगीत-  
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुपम्य सेवा निर्गुण का काम  
उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्यात किये जायेंगे राज्य  
संस्था पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) सेवा शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/भंडोवन  
परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह  
भव्य जाना है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन  
करने में किसी प्रकार की चूक या धिक्कार बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त  
अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

संस्था  
(संस्थापक)  
अनु सचिव।

प्रमुख एवं किताब लक्ष्य

प्रतिबंध विमनविहित की सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु विधित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(गा0),उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, श्रद्धा मण्डल पुरादावाप ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, पुरादावाप ।
- 4- निरीक्षक,उत्तर भारतीय विद्यालय उ०प्र०,लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, के०एच०एम०सी० स्कूल नन्दी की रोड,बहजोई,पुरादावाप ।
- 6- गार्ड बुक ।

जाना ने,

(संस्थापक)  
अनु सचिव।

*Rama Gupta*  
Manager  
K.H.M.C. School  
Chandausi Road, Bahjot

*[Signature]*  
PRINCIPAL  
K.H.M.C. SCHOOL  
BAHJOT-244419

श  
ख  
या उ  
ई तक  
दिनांक  
नीकर

का दि